झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
डब्ल्यू0पी0 (सी0) संख्या–254 / 2019

गुरूदास अदी .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. अंचल अधिकारी, जरीडीह
3. अंचल निरीक्षक, जरीडीह
4. हलका कर्मचारी, जरीडीह
5. बोधन योगी उर्फ बोधन गोस्वामी (गोसाई)
6. रवींद्र नाथ गोस्वामी उर्फ रवि गोसाई .... उत्तरदातागण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री ए0के0 राशिदी, अधिवक्ता।
उत्तरदाताओं के लिए : श्री नवनीत सहाय, जी0ए0–IV के ए0सी0

04 / 16.08.2019 यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन है, जिसके द्वारा दिनांक 25.10.2018 के आदेश द्वारा याचिकाकर्त्ता द्वारा बिहार किरायेदार की होल्डिंग्स (अभिलेखों का रखरखाव) अधिनियम, 1973 की धारा 14 के तहत अधियाचना की गई।

श्री ए0के0 राशिदी, याचिकाकर्त्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि एक ही खाता संख्या से संबंधित एक ही भूमि के लिए, दाखिल–खारिज का आदेश पारित किया गया है, लेकिन बिना किसी उचित कारण के याचिकाकर्त्ता का आवेदन खारिज कर दिया गया है।

श्री नवनीत सहाय ने राज्य–प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान जी0ए0– IV के ए0सी0 ने 1973 के अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रदान की गई अपील के वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका की पोषणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई है।

पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और उनके प्रतिद्वंदी सबमिान की विवेचना करने के बाद, यह न्यायालय का विचार है कि यद्यपि वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता रिट याचिका के पोषणीयता पर एक पूर्ण बार नहीं है, लेकिन जहां तथ्यात्मक पहलुओं की विवेचना की जानी है, इसलिए रिट कोर्ट के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना उचित नहीं है।

इस न्यायालय ने कानून की पूर्वोक्त स्थिति के आलोक में पार्टियों के प्रतिद्वंदी सबमिशन की विवेचना की है और रिट याचिका पर गहन विचार करने पर यह पाया कि इस मामले को

तथ्यात्मक पहलुओं की विवेचना कर इसपर न्याय–निर्णयन करने की आवश्यकता है, इसलिए, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान शक्ति का प्रयोग करने में खुद को रोक देता है, तद्नुसार, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

हालांकि, याचिकाकर्त्ता के लिए वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने के लिए खुला है, जैसा कि 1973 के अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है, अगर इस तरह के उपाय का लाभ उठाया जाएगा, तो प्राधिकरण, पक्षों को सुनने के बाद उसपर तेजी से निर्णय लेगा।

इस बिंदु पर, श्री ए0के0 रशीदी ने निवेदन किया है कि अपीलीय फोरम के पास जाते समय, परिसीमा का सवाल उठाया जाएगा, यदि ऐसा है, तो अपीलीय प्राधिकारी कानून के अनुसार परिसीमा के बिंदु पर निर्णय लेगा।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)